सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
परियोजना गलियारा इकाई–मथुरा (फरीदाबाद)
प्लॉट सं0 8 टोल प्लाजा भवन के समीप मथुरा रोड, फरीदाबाद–121003

National Highways Authority of India
(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)
Corridor Management Unit –Mathura (At Faridabad)
Plot No.8, Near Sarai Toll Plaza Building, Mathura Road Faridabad - 121003

फोन / Phone: 0129-3501177
वेबसाइट/Website:www.nhai.gov..in
ईमेल Email: mat@nhai.org

NHAI/CMU/MTR/F- 5 (DND)/2023/D- 69117 Dated: 08.02.2023

To,

The Divisional Forest Officer,
482, Chaudhary Charan Singh Marg,
Sector 14, Faridabad, Haryana 121006.

Sub:- Construction of 6 lane Greenfield connectivity from DND-Faridabad-Ballabhgarh Bypass (from Km. 32+600 of NH-148NA) to Jewar International Airport under BharatmalaPariyojana (Lot-4/Pkg-1) in the State of Haryana & Uttar Pradesh.- **Proposal for Stage - I approval of Forest Land Diversion Proposal of 1.7 Ha. area - Reg.**

Ref: (i) Forest Land Diversion Proposal no. **FP/HR/ROAD/150741/2022**
(ii) Your office letter no. 528 dated 22.07.2022

Sir,

Please refer your letter under ref. (ii) on the subject matter.

2. In this regard, it to inform you that the No Objection Certificate required for processing the Forest Land Diversion proposal has been accorded by Competent Authority, UP, Government & the same is hereby forwarded to you for processing FCA proposal to next higher office through the Parivesh portal for Stage-I approval so that work of prestigious highway project of NHAI may be taken in hand. (Copy of NOC is enclosed herewith for your ready reference)

An early action in the matter shall be highly solicited.

Thanking you,

Encl: As above

General Manager (T) &
Project Director
CMU-Mathura

Copy to:-

(i) Authorized Signatory, M/s SA Infrastructure Consultants Pvt. Ltd. with a request to co-odinate with Forest department for early stage - I approval.

फैक्स/ई-मेल/स्पीड पोस्ट

संख्या–391/81-2-2023-800(76)/2021

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप महानिरीक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, बेज नं0-24-25 दक्षिण मार्ग सेक्टर-31-ए चण्डीगढ पिन-160030

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 08 फरवरी 2023

विषय- Construction of 6 lane access controlled Highway from DND-Faridabad-Ballabhgarh bypass Junction with Delhi-Vadodara Expressway KMP-Interchange (NH-148 NA) under Bharatmala Pariyojana in State of Delhi-REG/Hariyana. Tree felling charges in respect of proposal for diversion of 1.7 ha. Forest land Proposal No. FP/HR/Road/150741/2022 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-325/81-2-2023-800(76)/2021 दिनांक 02.02.2023 (प्रति संलग्न) एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-2488/11-सी/एफपी/डीएल/रोड/154233/2022 दिनांक 03.02.2023 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक 03.02.2023 में उल्लेख किया गया है कि हरियाणा राज्य में पड़ने वाले 1.7 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु उ0प्र0 शासन को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी0) निर्गत किया जाना है। अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी0) निर्गत किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है।

2- अतएव विषयगत प्रस्ताव सम्बन्धित सूचना/अभिलेख संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु अनापत्ति प्रकट की जाती है। कृपया अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीय,

(आशीष तिवारी)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप वन महानिरीक्षक,पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगंज लखनऊ।
2. उप वन महानिरीक्षक,पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर।
3. मुख्य सचिव, हरियाणा प्रदेश शासन, चण्डीगढ।
4. प्रमुख सचिव, (पर्यावरण एवं वन) दिल्ली राज्य सरकार, छठवा तल, सी-अनुभाग दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
5. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सडक परिवहन और राजमार्ग-जी-5 एण्ड 6 सेक्टर-10 द्वारिका नई दिल्ली।
6. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संशाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
8. वन संरक्षक, मेरठ एवं प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
9. एन0एच0ए0आई0 गलियारा इकाई मथुरा फरीदाबाद।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
सचिव।

सं० 391/81-2-2023

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक– 2488/11–सी– FP/DL/Road/154233/2022, लखनऊ, दिनांक: फरवरी 03 ,2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

विषयः– Construction of 6 lane access controlled Highway from DND-Faridabad-Ballabhgarh bypass Junction with Delhi-Vadodara Expressway KMP-Interchange (NH-148 NA) under Bharatmala Pariyojana in State of Delhi-REG. Tree felling charges in respect of proposal for diversion of 3.0955 ha. Forest land (FCA) proposal no. FP/DL/Road/154223/2022

सन्दर्भः 1. इस कार्यालय का पत्रांक–2479/11–सी– FP/DL/Road/154233/2022, दिनांक 01.02.2023
2. उ0प्र0 शासन का पत्रांक–325/81–2–2023–800(76)/2021, दिनांक 02.02.2023

नहोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। विषयगत प्रकरण को इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विस्तार से अवगत कराया गया है। प्रकरण में एन0एच0ए0आई0 द्वारा दिल्ली राज्य में पडने वाले 3.0955 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर में आवेदन किया गया है तथा हरियाणा राज्य में पड़ने वाले 1.7 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ में आवेदन किया गया है।

प्रकरण में उ0प्र0 शासन द्वारा निम्न कार्यवाही अपेक्षित है:–

1. दिल्ली राज्य में पड़ने वाले 3.0955 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु उ0प्र0 शासन को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी0) निर्गत किया जाना है। अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी0) निर्गत किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है।
2. हरियाणा राज्य में पड़ने वाले 1.7 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु उ0प्र0 शासन को एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी0) निर्गत किया जाना है। अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी0) निर्गत किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है।

उक्त दोनों प्रस्तावों हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी0) निर्गत किये जाने हेतु संस्तुति की जाती है। उ0प्र0 शासन से अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दु–01 एवं बिन्दु–02 में अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन0ओ0सी0) निर्गत करने की कृपा करें।

भवदीय

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या– 2488/11–सी– FP/DL/Road/154233/2022, दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, मेरठ जोन, मेरठ।
2. वन संरक्षक, मेरठ वृत्त, मेरठ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर वन प्रभाग, गौतमबुद्धनगर।
4. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना गलियारा इकाई–मथुरा (फरीदाबाद) प्लाट सं0–8, टोल प्लाजा भवन के समीप मथुरा रोड, फरीदाबाद।

email से आज प्राप्त
08/02/2023

08/02/2023

(अनुपम गुप्ता)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

आरक्षित राम
02.02.2023
आरी
2/2/23

संख्या–325/81-2-2023-800(76)/2021

प्रेषक,

नीता चौधरी
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप महानिरीक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
ए-218 एण्ड बी-216 अरण्य भवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर-302004

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 02 फरवरी 2023

विषय- Construction of 6 lane access controlled Highway from DND-Faridabad-Ballabhgarh bypass Junction with Delhi-Vadodara Expressway KMP-Interchange (NH-148 NA) under Bharatmala Pariyojana in State of Delhi-REG. Tree felling charges in respect of proposal for diversion of 3.0955 ha. Forest land (FCA) proposal no. FP/DL/Road/154223/2022 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-2479/11-सी/एफपी/डीएल/रोड/154233/2022 दिनांक 01.02.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा Construction of 6 lane access controlled Highway from DND-Faridabad-Ballabhgarh bypass Junction with Delhi-Vadodara Expressway KMP-Interchange (NH-148 NA) under Bharatmala Pariyojana in State of Delhi-REG. Tree felling charges in respect of proposal for diversion of 3.0955 ha. Forest land (FCA) proposal no. FP/DL/Road/154223/2022 से सम्बन्धित प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया है।

2- अतएव विषयगत प्रस्ताव सम्बन्धित सूचना/अभिलेख संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीया,

(नीता चौधरी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप वन महानिरीक्षण,पर्यावरण वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगंज लखनऊ/चण्डीगढ।
2. प्रमुख सचिव, (पर्यावरण एवं वन) दिल्ली राज्य सरकार, छठवा तल, सी-अनुभाग दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सडक परिवहन और राजमार्ग-जी-5 एण्ड 6 सेक्टर-10 द्वारिका नई दिल्ली।
4. प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संशाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वन संरक्षक, मेरठ।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
8. एन0एच0ए0आई0 गलियारा इकाई मथुरा फरीदाबाद।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीता चौधरी)
उप सचिव।

Form D SO Model GOI Letter

21.02.2023

संख्या–325/81-2-2023-800(76)/2021

प्रेषक,

Signed by नीता चौधरी

नीता चौधरी
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उप महानिरीक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर
ए-218, एण्ड सी-216, अरण्य भवन, हरताना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

DND-02-02-2023 14:46:09

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 02 फरवरी 2023

विषय- Construction of 6 lane access controlled Highway from DND-Faridabad-Ballabhgarh bypass Junction with Delhi-Vadodara Expressway KMP-Interchange (NH-148 NA) under Bharatmala Pariyojana in State of Delhi-REG. Tree felling charges in respect of proposal for diversion of 3.0955 ha. Forest land (FCA) proposal no. FP/DL/Road/154223/2022 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-2479/11-सी/एफपी/डीएल/रोड/154233/2022 dated 01.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा Construction of 6 lane access controlled Highway from DND-Faridabad-Ballabhgarh bypass Junction with Delhi-Vadodara Expressway KMP-Interchange (NH-148 NA) under Bharatmala Pariyojana in State of Delhi-REG. Tree felling charges in respect of proposal for diversion of 3.0955 ha. Forest land (FCA) proposal no. FP/DL/Road/154223/2022 से सम्बन्धित प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया है।

2- अतएव विषयगत प्रस्ताव सम्बन्धित सूचना/अभिलेख संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक – यथोक्त।

भवदीया,

(नीता चौधरी)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप वन महानिरीक्षण,पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, अलीगंज लखनऊ/चण्डीगढ।
2. प्रमुख सचिव, (पर्यावरण एवं वन) दिल्ली राज्य सरकार, छठवा तल, सी-अनुभाग दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सडक परिवहन और राजमार्ग-जी-5 एण्ड 6 सेक्टर-10 द्वारिका नई दिल्ली।
4. प्रमख सचिव, सिंचाई एवं जल संशाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वन संरक्षक, मेरठ।
7. प्रभागीय धनाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
8. एन0एच0ए0आई0 गलियारा इकाई मथुरा फरीदाबाद।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(नीता चौधरी)
उप सचिव।

हरियाणा सरकार
कार्यालय उप वन संरक्षक फरीदाबाद
बाई पास रोड, नजदीक रोज गार्डन, सैक्टर–14, फरीदाबाद, दूरभाष 0129–2286760

क्रमांक 528 दिनांक २२ – ०७ –२०२२

सेवा में,

M/s Project Director, NHAI,
CMU, Mathura, at Faridabad

विषयः– **Diversion of 1.7 Ha of forest land for construction of 6 lane connectivity to Jewear International Airport from DND Faridabad Byepass (from km 32.600) Expressways under BharatmalaPariyojna, (Lot no. 4, Packages-1) Faridabad.**

उपरोक्त विषय के संबधं में आपको अवगत करवाया जाता है कि विषयांकित स्थल का मौका निरीक्षण व0रा0अ0, बल्लभगढ द्वारा करवाया गया। व0रा0अ0 की मौका निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार उक्त स्थल की भूमि व मौके पर खडे वृक्ष वन मण्डल कार्यालय, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के अधीन आते है। अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि विषयांकित केस बारें वन मण्डल कार्यालय, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश से पत्राचार करें। यह आपको सूचनार्थ हेतू प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
फरीदाबाद